UPM0010107352022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

दाण्डिक निगरानी संख्या–336/2022

1. नादिर अली पुत्र रहमत अली,
   निवासी–रोयल एंक्लेब, 52 कोठी, कोठी नं0–53, निकट थाना मझोला, दिल्ली रोड, मुरादाबाद । ,

..... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1. उ 0 प्र 0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुरादाबाद।
2. अताउर्रहमान पुत्र खलीलुर्रहमान,
   निवासी–मौहल्ला तम्बाकूवालान, लाल खां वाली गली के पास तम्बाकू स्ट्रीट, थाना कोतवाली, जिला मुरादाबाद ।

..... **विपक्षीगण।**

निर्णय

(1)– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता, निगरानीकर्ता ने विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश, धारा–138 एन.आई. एक्ट, मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या–4740/2019 में पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 30.10.2019 के विरुद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा निगरानीकर्ता को धारा–138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए तलब किया गया है।

(2)– संक्षेप में परिवाद संख्या–4740/2019 के तथ्य इस प्रकार हैं कि, "परिवादी से माल तथा उसके आश्वासन पर परिवादी ने उसे 17,00,000/–रू० दे दिये तथा विपक्षी ने प्रोफिट देने का वायदा किया, लेकिन विपक्षी ने अपने कहे अनुसार परिवादी को न तो प्रोफिट दिया और न ही मूल धनराशि अदा की। परिवादी जब विपक्षी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा तो उसने अपनी खाते वाली बैंक का एक चैक संख्या–415226 मुवलिग 17,00,000/–रू० दिनांकित 01.07.2019 अपनी मिलिनियर डॉयमन्ड ट्रेडिंग कम्पनी का हस्ताक्षर करके दिया। परिवादी ने उक्त चैक को भुगतान हेतु अपने खाते वाली बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया ब्रान्च चौराहा गली, मुरादाबाद में जमा किया जो विपक्षी कम्पनी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ मयं रिटर्न मीमो दिनांक 08.08.2019 को बिना भुगतान वापस कर दिया गया। परिवादी ने उक्त अनादरित चैक की बाबत विपक्षी कम्पनी को मौखिक रूप से सूचना दी, लेकिन उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। परिवादी ने मजबूर होकर दिनांक 28.08.2019 को नोटिस रजिस्टर्ड डार्क द्वारा विपक्षी कम्पनी को भिवज़ाया और अपनी

धनराशि तलब की। विपक्षी ने अपनी ट्रेडिंग कम्पनी का कार्यालय बंद कर दिया, जिसकी बजह से परिवादी ने विपक्षी को नोटिस वापस कर दिया जो आज तक वापस लौटकर नहीं और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया। परिवादी विपक्षी कम्पनी के निवास स्थान पर जाकर मिला और उक्त नोटिस का जवाब दिया तथा विपक्षी ने कहा आपका नोटिस प्राप्त हो गया है तथा धनराशि वापस नहीं करूंगा। विपक्षी ने परिवादी को धोखा देने की नियत से अपनी खाते की वास्तविकता को जानते हुए उक्त चैक जारी किया तथा अनादरित करा दिया।"

(3)– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के उपरोक्त अभिकथनों एवं उसके द्वारा परिवाद में दाखिल किये गये प्रपत्रों के आधार पर निगरानीकर्ता नादिल अली को धारा–138 एन.आई. एक्ट में तलबी आदेश दिनांकित 30.10.2019 के द्वारा तलब किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(4)– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि, विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.10.2019 विधि–विरूद्ध एवं प्रावधानों के विपरीत है, इसलिये खण्डित किये जाने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.10.2019 को पारित करते समय विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त आदेश को मनमाने तौर पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किये बिना पारित किया है। परिवादी निगरानीकर्ता का परिचित नहीं है। परिवादी ने निगरानीकर्ता को अजनबी व्यक्ति होने के नाते 17 लाख रूपये की धनराशि किस प्रकार दे दी, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता को सत्रह लाख रूपये की इतनी बड़ी राशि दिये जाने का लिखित में कोई दस्तावेज भी नहीं है। यदि परिवादी ने निगरानीकर्ता को इतनी बड़ी धनराशि दी होती तो जरूर उसका लिखित में कोई दस्तावेज होता, इससे भी परिवादी की घटना फर्जी प्रतीत होती है। निगरानीकर्ता मिलिनियर डॉयमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी का प्रोपराईटर नहीं है। मिलिनियर डॉयमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी क्या कार्य करती है, किस चीज का व्यवसाय करती है एंव परिवादी ने निगरानीकर्ता को सत्रह लाख रूपये कब एवं किस उद्देश्य एवं कितने प्रोफिट के रूप में दिये थे, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता का सत्रह लाख रूपये का एक चैक दिनांकित 01.07.2019 देना दर्शाया है, परन्तु परिवादी एंव निगरानीकर्ता के मध्य किस व्यवसाय को लेकर मौखिक समझौता हुआ था इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं दिया है। परिवादी स्वंय को निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 01.07.2019 का चैक दि० 08.08.2019 के Funds Insufficient की टिप्पणी के साथ वापस करना दर्शाया है। जिसकी सूचना परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता को देना दर्शाया है। परिवादी ने निगरानीकर्ता को किस माध्यम से चैक बाउंस होने की सूचना दी थी, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। परिवादी द्वारा बैंक से चैक अनादरित की तिथि दिनांक 08.08.2019 की दर्शायी है, जबकि परिवादी ने निगरानीकर्ता को अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से दि० 28.08. 2019 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस प्रेषित करना दर्शाया है। परिवादी ने दिनांक 28.08.2019 को नोटिस प्रेषित करने के 20 दिन बाद ही बिना नोटिस प्राप्ति का इंतेजार किये माननीय अवर न्यायालय ने उक्त वाद योजित किया है, जो समय से पूर्व है। एन०आई०एक्ट की धारा–138 Dishonour of Cheques for insufficiency etc, of funds in the account (c) The drawer of such cheque

fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice. परिवादी को निगरानीकर्ता के लिए नोटिस प्रेषित के 15 दिन तक नोटिस के जवाब का इंतेजार करना चाहिए था। नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के बाद यदि निगरानीकर्ता परिवादी के नोटिस का जवाब नहीं देता, तब परिवादी को निगरानीकर्ता के विरूद्ध परिवाद योजित करना चाहिए था। निगरानीकर्ता का उक्त वाद Pre–mature है, इसलिए भी खण्डित किये जाने योग्य है। माननीय अवर न्यायालय ने मनमाने तौर पर बिना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किये एंव परिवादी द्वारा नोटिस दिये जाने की तिथि एंव परिवाद योजित करने की तिथि की गणना किये बिना एकतरफा तौर पर अभियान्त्रिक तरीके से बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये परिवादी को तलब फरमाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो खण्डित किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने तथा तथा विद्वान अवर न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.10.2019 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

(5) मैंने विपक्षी संख्या–1 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की बहस को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक रूपेण अवलोकन किया।

(6)– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए कथन किया गया कि वे निगरानी पर बल देना नहीं चाहते तथा इस सम्बन्ध में उनके द्वारा पृष्ठांकन भी किया गया है। विपक्षी संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

(7)– विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.10.2019 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(8)– विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, विपक्षी संख्या–2 अताउर्रहमान द्वारा एक परिवाद अन्तर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट निगरानीकर्ता के विरुद्ध इस आशय का दिया गया कि, निगरानीकर्ता द्वारा उसे 17 लाख रूपये का चैक दिया गया, लेकिन जब परिवादी द्वारा वह चैक भुगतान हेतु सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच चौराहा गली, मुरादाबाद में अपने खाते में भुगतान हेतु जमा कराया तो फण्ड अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। इस संबंध में परिवादी द्वारा दिनांक 28.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निगरानीकर्ता को नोटिस दिया गया, परन्तु विधि द्वारा निर्धारित समय के अन्दर भुगतान नहीं किया गया। दिये गये चैक की फोटोकॉपी पत्रावली पर उपलब्ध है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त कथनों पर विचारण करने के उपरान्त निगरानीकर्ता को धारा–138 एन.आई. एक्ट में विचारण हेतु तलब किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित 30.10.2019 किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित 30.10.2019 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता नादिर अली की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–336/2022, अन्तर्गत धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या–4740/2019 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.10.2019 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, अवर न्यायालय में नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 09.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 09.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।